ELECTORS VERIFICATION PROGRAM(EVP)
स्वीप प्लान–बिहार
अवधि– 16.08.2019 से 30.09.2019

EVP स्वीप प्लान का लक्ष्य :–

- EVP कार्यक्रम के तहत निर्वाचक सूची में प्रविष्टियों तथा फोटो में सुधार करने, नये एवं योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृत, दोहरी प्रविष्टी, DSE तथा Migrated निर्वाचकों के नाम विलोपित करने हेतु मतदाताओं को प्रेरित कर त्रुटिरहित निर्वाचक सूची की तैयारी।
- EVP कार्यक्रम की प्रक्रिया की जानकारी से मतदाताओं को अवगत कराना।
- EVP कार्यक्रम में सभी stakeholders के भागीदारी के माध्यमों को चिन्हित किया जाना।
- निर्वाचकों के विभिन्न समूहों को EVP कर्यक्रम से जोड़ने के लिए रणनीति का विकास किया जाना।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी निर्वाचकों तक पहुँचाया जाना।

EVP स्वीप प्लान में सूचनाओं के प्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का प्रयोग :–

- **आउटडोर मीडिया**– पम्फलेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- **इंडोर मीडिया**– रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, सार्वजनिक स्थलों, महत्वपूर्ण भवनों पर Poster/Slides/Flex/Banner/Standee के माध्यम से प्रचार।
- **प्रिंट मीडिया**–राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया**– राज्य स्तरीय टीवी न्यूज चैनल, स्थानीय न्यूज चैनल के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- **सिनेमा घर –** सिनेमा घरों के माध्यम से EVP से संबंधित गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार।
- **आकाशवाणी, एफएम तथा कम्यूनिटी रेडियो** – बिहार में कई नगरों में परिचालित एफएम तथा कम्यूनिटी रेडियों, Live टॉक शो, आदि के माध्यम से EVP कार्यक्रम का प्रचार प्रसार।
- **सोशल मीडिया सेल** – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के स्तर से एकीकृत सोशल मीडिया सेल का परिचालन। EVP कार्यक्रम के तहत चलाये जा रहे विभिन्न गतिविधियों को Facebook, Twitter, Instagram एवं Youtube जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित–प्रसारित किया जाना।

- **प्रेस ब्रीफिंग** – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग।
- **जनसंपर्क**– निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/बी0एल0ओ0 स्तर से विभिन्न निर्वाचक समूहों के मध्य प्रचार–प्रसार हेतु जनसंपर्क कार्यक्रम का परिचालन।
- **कॉल सेंटर (1950)– हेल्पलाईन 1950** का निर्वाचकों के लिये निम्नवत व्यापक प्रचार प्रसार :–
  1. EVP कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु।
  2. निर्वाचकों को वाछिंत सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
  3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सोशल मीडिया सेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं निर्वाचकों को स्थानीय स्तर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु।
  4. एनजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण हेतु।
- **कॉमन सर्विस सेंटर**– कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से निर्वाचकों को उपलबध करायी जा रही सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार।
- **राजनैतिक दल –** राजनीतिक दलों के मध्य EVP कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार एवं उनकी सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना।
- **निर्वाचन साक्षरता क्लब –** सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं मतदान केन्द्रों पर गठित Electors Litracy Club के माध्यम से निर्वाचकों एवं भविष्य में बनने वाले निर्वाचकों को मतदाता सूची में निबंधन, संशोधन, विलोपन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया जाना एवं सहयोग करना।
- **वोटर अवेयरनेस फोरम** – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय सहित सभी विभागों/कार्यालयों में गठित Voter Awareness Forum (VAF) के माध्यम से PwD निर्वाचकों सहित अन्य निर्वाचकों को भी सहज एवं सुगम मतदान के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना एंव सहयोग करना।
- **स्टेट स्वीप आईकॉन एवं जिला स्वीप आईकॉन –** स्टेट स्वीप आईकॉन, जिला स्वीप आईकॉन एवं जिला PwD स्वीप आईकॉन के माध्यम से निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में शामिल होने हेतु निर्वाचकों को प्रेरित किया जाना।
- EVP **का अनुश्रवण एवं निर्वाचकों के फीडबैक की प्राप्ति –** बीएलओ द्वारा किये जा रहे हॉउस टू हॉउस वेरीफिकेशन का अनुश्रवण किया जाना एवं निर्वाचकों से EVP कार्यक्रम के संबंध में फीडबैक प्राप्त कर, उसपर आवश्यक कार्रवाई किया जाना।
- **रचनात्मक गतिविधियों को चिन्हित करना**– EVP से संबंधित मतदान केन्द्र स्तर/AERO/ERO स्तर पर चलाये जा रहे रचनात्मक गतिविधियों को चिन्हित करना।